

**मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ), लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना-14**

ईमेल- ce.pmg-bih@gov.in

दूरभाष- 0612-2215035

सविका सं०-मु0अ0/ल0ज0सं0(पी0एम0जी0)- कालीकृत-688/2025- 101 /पटना, दिनांक- 06/08/2026
आदेश

लघु सिंचाई प्रमंडल, बेतिया अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-01/2024-25 के गुप सं०-03 ओलिया बाबा चेक डैम/वीयर एवं सहरसवा चेक डैम का निर्माण कार्य की निविदा में संवेदक मेसर्स सावन राज कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०, निदेशक-श्री रवि कुमार सिंह, कर्मा रोड, औरंगाबाद, पो०+थाना-औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद, पिन कोड-824101 (निबंधन सं०-MWRD0325CICO5884 श्रेणी-I Company Incorporation number-U4520BR2008 PTC13689) द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करने के कारण कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेतिया के पत्रांक-1078 दिनांक-12.11.2025 एवं अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-843 दिनांक-21.11.2025 द्वारा संवेदक को कालीकृत करने हेतु भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1923 दिनांक-25.11.2025 द्वारा संवेदक को कालीकृत करने हेतु विहित प्रपत्र में प्रस्ताव अनुशंसा के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-1308 दिनांक-15.12.2025 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी, जिसका जबाब अप्राप्त रहने के स्थिति में इस कार्यालय के पत्रांक-75 दिनांक-13.01.2026 द्वारा संवेदक को स्मारित किया गया, जिसके अनुपालन में संवेदक का स्पष्टीकरण का जबाब का Ref No. -01 दिनांक-15.01.2026, जो सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबोधित है, विभाग में उपलब्ध कराया गया। विभागीय पत्रांक-450 दिनांक-21.01.2026 द्वारा संवेदक का स्पष्टीकरण का जबाब इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। संवेदक मेसर्स सावन राज कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०, निदेशक श्री रवि कुमार सिंह द्वारा स्पष्टीकरण के जबाब में कहा गया है कि "भूलवश एवं अंजाने में वर्णित कृत मेरे स्टाफ से हो गया। अपनी गलती को स्वीकार करते हुये मैं भवदीय को अश्वासन देना चाहता हूँ कि इस तरह के कृत्य की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस तरह की गलती मेरे एवं मेरे स्टाफ द्वारा पूर्व में किसी निविदा में नहीं किया गया है। विदित हो कि ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-6380 दिनांक-20.06.2025, पत्रांक-11282 दिनांक-04.11.2025 तथा मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण +भूगर्भ), लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-505 दिनांक-01.09.2021 एवं पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-7647 दिनांक-14.11.2025 द्वारा समरूप मामले में न्याय निर्णय पारित है। अतः भवदीय से सादर अनुरोध है कि मेरी प्रथम एवं अंतिम गलती मानते हुए उक्त विभागीय पत्रों द्वारा निर्गत न्याय निर्णयों के आलोक में मेरे साथ न्याय करने की कृपा करना चाहेंगे। साथ ही मैं भवदीय को यह भी अश्वासन देना चाहता हूँ कि ऐसे गलती भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी।"

चूँकि संवेदक द्वारा निविदा में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में फर्जी पाया गया, अतः उनके द्वारा दिये गये जबाब कि भूलवश एवं अनजाने में वर्णित कृत्य उनके स्टाफ से हो गया है, को अमान्य करते हुये संवेदक मेसर्स सावन राज कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०, कर्मा रोड, औरंगाबाद, पो०+थाना-औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद, पिन कोड-824101 (निबंधन सं०-MWRD0325CICO5884 श्रेणी-I Company Incorporation number-U4520BR2008PTC013689) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के नियम 11 (क) की उप कंडिका (vii) एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं०-154 दिनांक-18.06.2015 की कंडिका 08 की उप कंडिका 04 के तहत अगले 10 (दस) वर्षों के लिये कालीकृत किया गया।

कालीकृत करने संबंधी उक्त आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबोधित अपील अभ्यावेदन दिनांक-10.02.2026 को समर्पित किया गया, जिस पर दिनांक-30.03.2026 को सुनवाई के क्रम में निर्गत आदेश संख्या-2333 दिनांक-08.04.2026 द्वारा संवेदक को वस्तुस्थिति अंकित करते हुए साक्ष्य सहित अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया एवं अगली सुनवाई दिनांक-15.04.2026 को निर्धारित की गयी। उक्त निदेश के अनुपालन में संवेदक द्वारा वस्तुस्थिति अंकित करते हुए अभ्यावेदन एवं उक्त विभागीय निविदा से पूर्व अन्य विभागों में उनके द्वारा कराये गये कार्यों से संबंधित अभिलेख एवं शपथ पत्र समर्पित किया गया।

दिनांक 15.04.2026 को मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ), लघु जल संसाधन विभाग, पटना एवं संवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी। संवेदक द्वारा अपनी गलती को स्वीकार करते हुये यह अनुरोध किया गया कि अन्य विभागों में उन्हें आवंटित कार्य के संदर्भ में किसी भी तरह की कार्रवाई लंबित नहीं है। किसी भी विभाग में इस तरह की गलती पूर्व में उनके द्वारा नहीं की गयी है। उनके द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया है कि इस तरह के कृत्य की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। भविष्य में कोई अन्य मामला उनके विरुद्ध पाये जाने पर उन्हें बिना किसी स्टीकरी के कालीसूची में डाल दिया जायेगा, तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक-10.02.2026 में यह भी अनुरोध किया गया है कि मेरी प्रथम एवं अंतिम गलती मानते हुये न्याय करने की कृपा की जाये। इस हेतु उनके द्वारा नोटरी के स्तर से निर्गत शपथ पत्र भी समर्पित किया गया है।

वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरांत अपीलकर्ता संवेदक मेसर्स सावन राज कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 (निदेशक-श्री रवि कुमार सिंह), कर्मा रोड, औरंगाबाद, पो0+थाना-औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद, पिन कोड-824101 (निबंधन सं0-MWRD0325C1CO5884 श्रेणी-I Company Incorporation number-U4520BR2008PTC13689) को इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुये विभागीय आदेश ज्ञापांक-2920 दिनांक-30.04.2026 द्वारा पत्र निर्गत की तिथि से 02 (दो) माह के लिये इस शर्त के साथ कालीकृत किया गया कि भविष्य में इस तरह की घटना संज्ञान में आने पर पुनः कालीकृत कर दिया जायेगा। साथ ही इस तरह के कृत्य की पुनरावृत्ति किये जाने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज की जायेगी। उक्त आदेश के आलोक में संवेदक द्वारा अभ्यावेदन दिनांक-09.07.2026 को इस कार्यालय को दिया गया है, जिसमें यह कहते हुये कि "सविद महोदय के पत्रांक-2920 दिनांक-30.04.2026 के द्वारा हमारे निबंधन संख्या- MWRD0325C1CO5884 श्रेणी-I को अपने आदेश के निर्गत तिथि से 02 माह के लिए कालीकृत किया गया था, जिसकी अवधि 29.06.2026 को समाप्त हो गया है" संवेदक द्वारा कालीकरण से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में विभागीय आदेश ज्ञापांक-2920 दिनांक-30.04.2026 द्वारा पत्र निर्गत की तिथि से 02 (दो) माह के लिये कालीकृत किये जाने संबंधी आदेश, जिसके अनुसार कालीकरण की अवधि दिनांक-29.06.2026 को पूर्ण हो गयी है, के आलोक में संवेदक मेसर्स सावन राज कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 (निदेशक-श्री रवि कुमार सिंह), कर्मा रोड, औरंगाबाद, पो0+थाना-औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद, पिन कोड-824101 (निबंधन सं0-MWRD0325C1CO5884 श्रेणी-I Company Incorporation number-U4520BR2008PTC13689) को कालीसूची से मुक्त किया जाते हैं।

ह0/-
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक-

/पटना दिनांक-

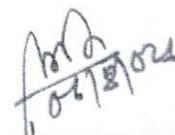
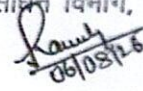
प्रतिलिपि- संवेदक मेसर्स सावन राज कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, निदेशक श्री रवि कुमार सिंह, कर्मा रोड, औरंगाबाद, पो0+थाना-औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद, पिन कोड-824101 (निबंधन सं0-MWRD0325C1CO5884 श्रेणी-I)
मो0-9155070000, ईमेल-srcprivatelimited@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित

ह0/-
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक- 1258

/पटना, दिनांक- 06/08/2026

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग,/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल,/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल,एवं आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।


मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भी),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

06/08/26